

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 83

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	10608.03	2901.73	13509.76	13094.63	3522.11	16616.74	12717.63	3817.54	16535.17	9864.00	2839.00	12703.00	
पूँजी	13038.10	1852.55	14890.65	15786.37	1942.09	17728.46	15032.37	1737.46	16769.83	33048.65	...	33048.65	
जोड़	23646.13	4754.28	28400.41	28881.00	5464.20	34345.20	27750.00	5555.00	33305.00	42912.65	2839.00	45751.65	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	66.19	66.19	...	78.79	78.79	...	77.61	77.61	...	84.74	84.74
2. बीआरडीबी सचिवालय	3451	...	320.03	320.03	...	397.05	397.05	...	352.60	352.60
सड़क परिवहन													
3. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3055	133.05	...	133.05	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
4. निर्भय निधि से सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिला सुरक्षा संबंधी स्कीम	3055	50.00	...	50.00	30.50	...	30.50	653.00	...	653.00
4.01 निर्भय निधि से पूरी की गई राशि घटाइए	3055	-50.00	...	-50.00	-30.50	...	-30.50	-653.00	...	-653.00
<i>कुल</i>
जोड़-सड़क परिवहन	133.05	...	133.05	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	
5. सड़कें और पुल													
5.01 राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव	3054	...	1805.12	1805.12	...	2100.00	2100.00	...	2599.47	2599.47	...	2701.47	2701.47
5.02 राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूँजी परिव्यय	5054	8501.56	...	8501.56	6570.56	...	6570.56	5994.59	...	5994.59	5528.56	...	5528.56
5.02.01 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	5054	-2673.30	...	-2673.30	-4500.00	...	-4500.00	-4176.03	...	-4176.03
5.02.02 ईएपी संघटक	5054	41.23	...	41.23	750.00	...	750.00	350.00	...	350.00	600.00	...	600.00
<i>कुल</i>	...	5869.49	...	5869.49	2820.56	...	2820.56	2168.56	...	2168.56	6128.56	...	6128.56
5.03 राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरण एवं राजमार्ग प्रशासन	3054	...	0.27	0.27	...	3.50	3.50	...	0.50	0.50	...	3.50	3.50
<i>जोड़- सड़कें और पुल</i>	...	5869.49	1805.39	7674.88	2820.56	2103.50	4924.06	2168.56	2599.97	4768.53	6128.56	2704.97	8833.53
6. बीआरडीबी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य													
6.01 बीआरडीबी के तहत निर्माण कार्य	5054	339.11	1852.55	2191.66	400.00	1942.09	2342.09	298.00	1737.46	2035.46
6.02 अन्य निर्माण कार्य	3054	...	649.91	649.91	...	884.35	884.35	...	728.94	728.94
<i>जोड़- बीआरडीबी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य</i>	...	339.11	2502.46	2841.57	400.00	2826.44	3226.44	298.00	2466.40	2764.40
7. महत्वपूर्ण सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान	3601	58.18	...	58.18	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
8. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित योजनाएं													

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8.01 राज्यों को अनुदान													
8.01.01 राज्यों को अनुदान	3601	2566.99	...	2566.99	2607.06	...	2607.06	2607.06	...	2607.06	2868.00	...	2868.00
8.01.02 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3601	-2566.99	...	-2566.99	-2607.06	...	-2607.06	-2607.06	...	-2607.06	-2868.00	...	-2868.00
8.01.03 अन्तरराज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3601	236.67	...	236.67	292.63	...	292.63	250.00	...	250.00	293.00	...	293.00
8.01.04 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3601	-236.67	...	-236.67	-292.63	...	-292.63	-250.00	...	-250.00	-293.00	...	-293.00
	कुल
8.02 विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान													
8.02.01 राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	3602	336.14	...	336.14	22.20	...	22.20	22.20	...	22.20	25.00	...	25.00
8.02.02 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3602	-336.14	...	-336.14	-22.20	...	-22.20	-22.20	...	-22.20	-25.00	...	-25.00
8.02.03 पुदुचेरी	3602	20.59	...	20.59	4.23	...	4.23	4.23	...	4.23	5.00	...	5.00
8.02.04 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3602	-20.59	...	-20.59	-4.23	...	-4.23	-4.23	...	-4.23	-5.00	...	-5.00
	कुल
8.03 अन्तरराज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान													
8.03.01 अन्तरराज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
8.03.02 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3602	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00
	कुल
8.04 विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान													
8.04.01 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3054	5.55	...	5.55	7.00	...	7.00
8.04.02 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3054	-5.55	...	-5.55	-7.00	...	-7.00
8.04.03 चण्डीगढ़	3054	2.11	...	2.11	2.11	...	2.11	2.66	...	2.66
8.04.04 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3054	-2.11	...	-2.11	-2.11	...	-2.11	-2.66	...	-2.66
8.04.05 दादरा और नागर हवेली	3054	1.06	...	1.06	1.34	...	1.34
8.04.06 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3054	-1.06	...	-1.06	-1.34	...	-1.34
8.04.07 लक्षद्वीप	3054
8.04.08 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा	3054

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
किया गया													
8.04.09 दमन और दीव	3054	0.79	...	0.79	1.00	...	1.00	
8.04.10 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3054	-0.79	...	-0.79	-1.00	...	-1.00	
<i>कुल</i>	
<i>जोड़- केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित योजनाएं</i>	
अन्य परिवहन सेवाएं													
9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	5054	11627.45	...	11627.45	15013.81	...	15013.81	15013.81	...	15013.81	29420.09	...	29420.09
9.01 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	5054	-6857.45	...	-6857.45	-9565.81	...	-9565.81	-9565.81	...	-9565.81	-22920.09	...	-22920.09
9.02 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से पूरा किया गया	5054	-4770.00	...	-4770.00	-5448.00	...	-5448.00	-5448.00	...	-5448.00	-6500.00	...	-6500.00
9.03 ईएपी ऋण	7075
<i>जोड़- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण</i>
10. अन्य व्यय													
10.01 विकास और योजना	3054	0.18	...	0.18	10.00	...	10.00	7.00	...	7.00	10.00	...	10.00
जोड़-अन्य परिवहन सेवाएं		0.18	...	0.18	10.00	...	10.00	7.00	...	7.00	10.00	...	10.00
11. केन्द्रीय सड़क निधि - अंतरण													
11.01 राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3054	5646.62	...	5646.62	4793.63	...	4793.63	4427.03	...	4427.03	294.00	...	294.00
11.02 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हेतु	5054	6857.45	...	6857.45	9565.81	...	9565.81	9565.81	...	9565.81	22920.09	...	22920.09
11.03 राज्यों को अनुदान	3054	2607.06	...	2607.06	2607.06	...	2607.06	2868.00	...	2868.00
11.04 विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र													
11.04.01 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3054	22.20	...	22.20	22.20	...	22.20	25.00	...	25.00
11.04.02 पुदुचेरी	3054	4.23	...	4.23	4.23	...	4.23	5.00	...	5.00
<i>जोड़- विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र</i>	<i>26.43</i>	...	<i>26.43</i>	<i>26.43</i>	...	<i>26.43</i>	<i>30.00</i>	...	<i>30.00</i>
11.05 विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र													
11.05.01 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3054	5.55	...	5.55	7.00	...	7.00
11.05.02 चण्डीगढ़	3054	2.11	...	2.11	2.11	...	2.11	2.66	...	2.66
11.05.03 दादरा और नागर हवेली	3054	1.06	...	1.06	1.34	...	1.34
11.05.04 लक्षदीप	3054
11.05.05 दमन और दीव	3054	0.79	...	0.79	1.00	...	1.00
<i>जोड़- विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र</i>	<i>9.51</i>	...	<i>9.51</i>	<i>2.11</i>	...	<i>2.11</i>	<i>12.00</i>	...	<i>12.00</i>
<i>जोड़- केन्द्रीय सड़क निधि - अंतरण</i>		<i>12504.07</i>	...	<i>12504.07</i>	<i>17002.44</i>	...	<i>17002.44</i>	<i>16628.44</i>	...	<i>16628.44</i>	<i>26124.09</i>	...	<i>26124.09</i>
12. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्त	5054	59.81	...	59.81	150.00	...	150.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
पोषित योजनाएं													
12.01 घटाइए-वसूलियां	5054	-59.81	...	-59.81	-150.00	...	-150.00	-100.00	...	-100.00	-50.00	...	-50.00
<i>कुल</i>
13. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि -अंतरण													
13.01 पुलों पर चुंजी	3054	...	60.21	60.21	...	58.42	58.42	...	58.42	58.42	...	49.29	49.29
13.02 एनएचएआई द्वारा संग्रहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुंजी	3054	4770.00	...	4770.00	5448.00	...	5448.00	5448.00	...	5448.00	6500.00	...	6500.00
<i>जोड़- राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि -अंतरण</i>		<i>4770.00</i>	<i>60.21</i>	<i>4830.21</i>	<i>5448.00</i>	<i>58.42</i>	<i>5506.42</i>	<i>5448.00</i>	<i>58.42</i>	<i>5506.42</i>	<i>6500.00</i>	<i>49.29</i>	<i>6549.29</i>
14. आर्थिक महत्व की सड़कों का विकास, चौड़ा करना एवं अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी	3601
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	3000.00	...	3000.00	3000.00	...	3000.00	4000.00	...	4000.00
16. वास्तविक वसूलियां	5054	-27.95	...	-27.95
कुल जोड़		23646.13	4754.28	28400.41	28881.00	5464.20	34345.20	27750.00	5555.00	33305.00	42912.65	2839.00	45751.65
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
<i>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण</i>													
8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	13054	11627.45	7942.00	19569.45	15013.81	9000.00	24013.81	14189.84	3000.00	17189.84	...	42694.50	42694.50
जोड़-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण		11627.45	7942.00	19569.45	15013.81	9000.00	24013.81	14189.84	3000.00	17189.84	...	42694.50	42694.50
जोड़		11627.45	7942.00	19569.45	15013.81	9000.00	24013.81	14189.84	3000.00	17189.84	...	42694.50	42694.50
ग. योजना परिव्यय													
<i>केन्द्रीय योजना:</i>													
1. सड़क एवं पुल	13054	20722.41	7942.00	28664.41	23238.00	9000.00	32238.00	22114.40	3000.00	25114.40	36002.65	42694.50	78697.15
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	3000.00	...	3000.00	3000.00	...	3000.00	4000.00	...	4000.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		20722.41	7942.00	28664.41	26238.00	9000.00	35238.00	25114.40	3000.00	28114.40	40002.65	42694.50	82697.15
<i>राज्य योजना:</i>													
1. सड़क एवं पुल	43601	2566.99	...	2566.99	2607.06	...	2607.06	2607.06	...	2607.06	2868.00	...	2868.00
जोड़ - राज्य योजना		2566.99	...	2566.99	2607.06	...	2607.06	2607.06	...	2607.06	2868.00	...	2868.00
<i>संघ राज्य क्षेत्र योजना :</i>													
<i>संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)</i>													
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	43602	336.14	...	336.14	22.20	...	22.20	22.20	...	22.20	25.00	...	25.00
2. पुदुचेरी	43602	20.59	...	20.59	4.23	...	4.23	4.23	...	4.23	5.00	...	5.00

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के बिना)													
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43602	5.55	...	5.55	7.00	...	7.00
2. चंडीगढ़	43602	2.11	...	2.11	2.11	...	2.11	2.66	...	2.66
3. दादरा और नगर हवेली	43602	1.06	...	1.06	1.34	...	1.34
4. दमन और दीव	43602	0.79	...	0.79	1.00	...	1.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना	356.73	356.73	35.94	...	35.94	28.54	...	28.54	42.00	...	42.00
जोड़	23646.13	7942.00	31588.13	28881.00	9000.00	37881.00	27750.00	3000.00	30750.00	42912.65	42694.50	85607.15	

1. यह व्यवस्था सचिवालय व्यय के लिए है।

3. यह व्यवस्था मुख्यतः अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों, दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए है। इसमें पीड़ितों के लिए प्राथमिक उपचार तथा यातायात की बहाली हेतु क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाना, राष्ट्रीय आंकड़ा आधार नेटवर्क का विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना आदि भी शामिल है।

4. यह व्यवस्था निर्भया फंड से सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए है।

5.01. यह व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर व्यय हेतु की गई है। ये निर्माण कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर पूरे किए जाते हैं।

5.02. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राजमार्गों को दो लेन का बनाए जाने और स्वर्णिम चतुर्भुज के भीड़-भाड़ वाले खंडों को छ. लेन का बनाए जाने के साथ-साथ एक्सप्रेस मार्गों से संबंधित परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर होने वाला व्यय इस प्रावधान में शामिल है। साथ ही नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम और विजयवाड़ा-रांची सड़क के विकास हेतु प्रावधान भी इसमें शामिल हैं। ये कार्य, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण विभागों द्वारा एजेंसी आधार पर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। इस प्रावधान में सड़क स्कंध के अंतर्गत बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए परिव्यय और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास संबंधी जनजातीय उप-आयोजना के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

5.03. यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरणों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय, उनके कार्यालयों के प्रबंध पर व्यय के लिए एवं राज्य सरकार को जनशक्ति की लागत तथा राजमार्ग प्रशासन की स्टाफ व्यवस्था के संबंध में अन्य अनुषंगी लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए है।

8. यह प्रावधान विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों की अनुमोदित योजनाओं के वित्तपोषण के लिए तथा अंतरराज्यीय और/या आर्थिक महत्व की चुनिंदा सड़कों के विकास के लिए है ताकि बेहतर सड़क अवसरचना को संवर्धित किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सड़क निधि से निधियां जारी की जाती हैं।

9. इस प्रावधान में संगठन को निष्पादन के लिए सौंपी गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया गया निवेश शामिल हैं। परियोजनाओं का वित्तपोषण केन्द्रीय सड़क निधि और राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पूल शुल्क निधि और 20% विदेशी ऋणों से किया जाता है।

10. इसमें अनुसंधान एवं विकास तथा सड़क विकास संबंधी आयोजना अध्ययनों तथा भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, सेमिनारों पर होने वाला व्यय शामिल है।

11. केन्द्रीय सड़क निधि का दिसंबर, 2000 में अधिनियमित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 के तहत पुनर्गठन किया गया था। मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर संग्रहित उपकर का एक भाग राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के विकास के लिए अलग रखा जाता है जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क शामिल है और इस प्रावधान के द्वारा व्यपगत न होने वाली केन्द्रीय सड़क निधि को राशि अंतरित की जाती है। यह राशि अंततः देश में सड़क अवसरचना के विकास के लिए एन एच ए आई और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जारी की जाती है।

12 & 13. यह अनुमान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पूल शुल्क निधि, के अधीन किए गए लेन-देनों से संबंधित है। इस प्रावधान में यंत्रचालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतिपय स्थायी पुलों के प्रयोग के लिए लगाए गए शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुंगी एवं राजस्व भाग तथा वीओटी परियोजनाओं पर प्राप्त ऋणात्मक अनुदानों के रूप में सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व शामिल हैं। निधि का उपयोग सरकार द्वारा किए जाने वाले और एन एच ए आई को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों के लिए होता है। इसमें शुल्कों की संग्रहण लागत के प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले भुगतान भी शामिल है।

14. यह प्रावधान ट्रांस-अरूणाचल राजमार्ग और कलादान मल्टी मोडल परिवहन परियोजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में अन्य सड़क विकास परियोजनाओं सहित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए है।